फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/12/23	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप.) प्रा. पत्र 22(10) व 151 CPC पर अवलोकन किया गया तो प्रा. पत्र 128 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध में है। जिसमें किसी प्रकार की घोषणा नहीं चाही गई है। उक्त प्रा. पत्र दफा 10 का प्रभाव 128 पर नहीं पड़ता है क्योंकि उक्त प्रा. पत्र सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी से सम्बन्धित है जो सभी पक्षकारान व उपस्थित व्यक्तियों के सामने किया जाता है ऐसी स्थिति में प्रा. पत्र दफा 10 तथ्यहीन व सारहीन होने से खारिज किया जाकर प्रा. पत्र 128 का स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रा. पत्र दफा 10 का खारिज किया जाता है। व प्रा. पत्र 128 का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर)